संख्या-58/2023/425/22-2-2022-17(374)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामजियावन पुत्र श्री छोटा, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामजियावन पुत्र श्री छोटा, कल्लनखेड़ा एच0/ओ0-बेती, थाना-बन्थरा खाला, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी ने नदी किनारे भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 05.05.2006 समय लगभग 8.30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा से वारकर छेदी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सख्या-955/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34, 504 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-07, लखनऊ के आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2021 तक 15 वर्ष, 07 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस आयुक्त, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ दवारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का व्यापक प्रभाव होने के कारण गांव में भय व्याप्त होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे और निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है, ताकि बन्दी द्वारा पुनः अपराध न किया जा सके, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने नदी किनारे भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में दिनाक 05.05.2006 समय लगभग 8.30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा से वारकर छेदी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामजियावन पुत्र श्री छोटा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामजियावन (बन्दी संख्या-130/2017) पुत्र श्री छोटा, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-58/2023/425(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-58/2023/425/22-2-2022-17(374)/2022

दिनांक 23 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामजियावन पुत्र श्री छोटा, कल्लनखेड़ा एच0/ओ0-बेती, थाना-बन्थरा खाला, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी ने नदी किनारे भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 05.05.2006 समय लगभग 8.30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा से वारकर छेदी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सख्या-955/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302, 323/34, 504 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-07, लखनऊ के आदेश दिनांक 07.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2021 तक 15 वर्ष, 07 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 01 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस आयुक्त, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ दवारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का व्यापक प्रभाव होने के कारण गांव में भय व्याप्त होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे और निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है, ताकि बन्दी द्वारा पुनः अपराध न किया जा सके, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने नदी किनारे भैंस चराने को लेकर हुए विवाद में दिनाक 05.05.2006 समय लगभग 8.30 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फरसा से वारकर छेदी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे और निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामजियावन पुत्र श्री छोटा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in